न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रामरतन बनाम रामफूल मु.नं.– 92/25 किस्म – T.I.	
	सं. 03 अपंजीयक बैजूपाड़ा की तामील डाक में। प्रतिवादी सं. 06 उपपंजीयक बैजूपाड़ा के अनुसार मानने के लिए निवेदन किया साथ ही प्रा.पत्र T.I. पर बहस हेतु निवेदन किया। अतः निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र T.I. पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 08.01.26 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	08.01.26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
92/2025	18.08.2025	08.01.2026

बउनवान

1. रामरतन पुत्र श्री रामकिशन, निवासी हिंगोटा(कूचान की ढाणी) तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..**प्रार्थी/सायल**

बनाम

1. रामफूल पुत्र नारायण, निवासी हिंगोटा(कूचान की ढाणी), तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. देवेन्द्र पुत्र रामफूल, निवासी हिंगोटा(कूचान की ढाणी), तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. उपपंजीयक बैजूपाडा।

..**अप्रार्थीगण/गैरसायलान**

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री हरिसिंह मीना ।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की विवादित आराजी ग्राम हिंगोटा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के खाता सं. 532 के खसरा सं. 2209/2545 रकबा 0.50 हैक्टे. में स्थित है। विवादित आराजी सायल की बुआ छोटी बाई पुत्री नारायण मीना के नाम है जो नाऔलाद फौत हो जाने से सायल के परिवार का सजरा निम्नानुसार है।

छोटी बाई (फौत) दिनांक 22.07.2025					
रामकिशन (भाई) (फौत)		बोदन (भाई)		रामफूल (भाई)	
1 रामरतन	भतीजे	1 श्रीलाल	भतीजे	1 जीतू	भतीजे
2 शिवराम		2 महेन्द्र		2 देवेन्द्र	
		3 भरतलाल			

सायल की बुआ छोटी बाई अपने पीहर में रहकर अपना जीवन यापन करती थी जिसकी देखभाल वादी एवं उसके परिवारजन करते थे। विवादित आराजी छोटी बाई को सरकार द्वारा अलॉटमेन्ट हुयी थी जिस पर छोटी बाई काबिज रहकर काश्त करती थी। छोटी बाई नाऔलाद होने से उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी बाई का दिनांक 22.07.2025 को वृद्ध अवस्था एवं बीमार हो जाने के कारण उसका देहान्त हो गया है जिसके उपरान्त उसकी चल व अचल सम्पत्ति के विधिक वारिस सायल एवं गैरसायल संख्या 1 एवं बोदन है। इसके अलावा अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। दिनांक 05.08.2025 को सायल ने गैरसायलान से भूमि का नामान्तकरण खुलवाने हेतु कहा, तब गैरसायल सं. 2 ने धमकी देकर कहा कि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

जमीन मैने अपने नाम करवाली है और मै अकेला ही भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाऊंगा। अब तुम्हारा जमीन से कोई लेना देना नहीं है एवं मैं जमीन को दीगर लोगों को बेचान कर खुर्द बुर्द करूगा। यदि गैरसायल सं. 2 अपनी कुचेष्टा में सफल हो हो गया तो सायल अपने कानूनी हक एवं अधिकारों से वंचित हो जायेगा। सायल की बुआ छोटी बाई अनपढ एवं 78 वर्षीय वृद्ध महिला थी जिसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण थी अपने भले बुरे के बारे में कुछ भी नहीं समझती थी। गैरसायल सं. 2 बहुत ही चतुर एवं बेईमान किस्म का व्यक्ति है यदि किसी भी प्रकार का कोई गोदनामा या वसीयतनामा तहसील में रजिस्टर्ड करवा लिया है तो उसे फर्जकारी तरीके से तैयार कर गुपचुप तरीके से बनाया गया है जो शुरू से ही शुन्य है। इसलिये श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी है। गैरसायलान वादग्रस्त भूमि को अपने नाम गलत इन्द्राज की आड मे दीगर लोगों को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो सकते हैं जिसमें सायल को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है और अपने विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हो सकता है इसलिये सायल एवं गैरसायलान का छोटी बाई के हिस्से का बराबर नामान्तकरण खुलना चाहिये। सायल एवं गैरसायलान में लडाई झगडा होने की सम्भावना है इसलिये अपूरणीय क्षति होने से बचाने के लिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी है। प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2025 को गैरसायल सं. 2 द्वारा जमीन अपने नाम करवाने एवं नामान्तकरण खुलवाने की ऐलानिया धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिये श्रीमान को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। दावा गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है जबकि गैरसायलान को पाबन्द नहीं करने से सायल अपने कानूनी हक हकूकों से वंचित हो जायेगा एवं गैरसायल सं. 1 व 2 अवैध तरीके से गलत इन्द्राज की आड में दीगर लोगों को बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी अतः निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थना पत्र के उक्त विवादित आराजी में स्थित भूमि को गैरसायलान फर्जी वसीयतामा या गोदनामा के आधार पर रहन, वय, बेचान नहीं करें। मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखने के आदेश करें।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की दिनांक 03.10.2025 एकपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 03.10.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण खसरा सं. 2209/2545 कुल रकबा 0.50 हैक्टे. के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थी सं. 1 व 3 ने नोटिसों की सम्यक तामील के बावजूद न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि छोटी बाई अपने पीहर में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रहकर अपना जीवन यापन करती थी तथा यह भी सही है कि विवादित आराजी उसे राज. सरकार से अलोट हुई थी जो उसकी निजी सम्पत्ति थी जिस पर पहले वह काश्त करती थी लेकिन बाद में उसने अपने भाई रामफूल के लडके देवेन्द्र को यानी मुझ उत्तरदाता को गोद ले लिया जिसका गोद पत्र दिनांक 12.01.2010 को उप पंजीयक बसवा द्वारा रजिस्टर्ड किया गया जिसमें सायल स्वयं साक्षी है। जबकि मुझ उत्तरदाता को छोटी बाई द्वारा गांव के पंच पटैलों के समक्ष गोद लिया था। जिसकी पूर्णतया जानकारी सायल को शुरू से ही रही है। तथा मुझ उत्तरदाता को गोद लेने के करीब 15 वर्ष बाद छोटी बाई की मृत्यु हुई थी उक्त गोद नामा के अनुसार छोटी बाई की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति का एक मात्र वारिस मैं उत्तरदाता ही हूं। इसके अलावा कोई नही है।जब सायल को पूर्ण तथा इस बाबत की जानकारी शुरू से ही रही है कि मुझ उत्तरदाता को छोटी बाई ने समाज के समक्ष गोद लिया हुआ है और गोद पुत्र बनाने के बाद से ही उत्तरदाता उसी के पास रहता चला आ रहा था तो उत्तरदाता द्वारा सायल को धमकी क्यों दूंगा। ये सारे ही सत्य वादी ने असत्य दर्ज कराये है। जो स्वीकार नहीं है। छोटी देवी की सम्पूर्ण भूमि का मालिक मुझ उत्तरदाता के अतिरिक्त कोई नहीं है। क्योंकि मुझ उत्तरदाता द्वारा ही छोटी बाई की मृत्यु होने पर उसके सारे संस्कार बतौर पुत्र मेरे द्वारा ही किये गये थे। उक्त भूमि से वादी अथवा दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। उक्त मद में सारे ही तथ्य सायल द्वारा असत्य दर्ज कराये है जो स्वीकार नहीं है। सायल का उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का लेना देना नही है। उक्त भूमि छोटी बाई की अलोटमेण्टशुदा भूमि थी जो कि उसकी स्व अर्जित सम्पत्ति की तारीफ में आती है। तथा छोटी बाई ने अपने जीते जी पूर्ण होश हवाश से गांव के पंच पटेलों के समक्ष मुझ उत्तदाता को गोद लिया तथा गोद लेने के उपरान्त रजिस्टर्ड गोद पत्र दिनांक 12.01.2010 को उप पंजीयक बसवा के समक्ष छोटीबाई ने उपस्थित होकर तस्दीक करवा दिया जिससे उक्त भूमि का तन्हारूप से मालिक मझ उत्तरदाता हो गया। जबकि सायल एवं दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का उक्त आराजी से कोई सबंध व वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं रहा। इस कारण उसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि किसी भी प्रकार से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। सायल का प्रथम दृष्टया मामला किसी भी प्रकार से साबित नहीं है। और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में हैं क्योंकि सायल का उक्त आराजी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। उक्त आराजी मुझ उत्तरदाता की निजी सम्पत्ति है। जिससे अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। इस कारण सायल का ना तो प्रथम दृष्टया केस ही साबित है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही उसके पक्ष में है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। सायल को किसी प्रकार की क्षति नहीं हैं जबकि गैरसायल उत्तरदाता के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो उससे मुझ उत्तरदाता को भारी क्षति होगी। लिहाजा अपूरणीय क्षति का प्रश्न भी मुझ उत्तरदाता के हक में पूर्णतया साबित है। अत: अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जाकर विशेष हर्जा खर्चा सायल से गैरसायल उत्तरदाता को दिलवाये जाने की कृपा करे।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 की बहस सुनी गई। उभय पक्षों ने प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी और विद्वान अभिभाषक सं. 02 अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. *व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार नहीं है। विवादित आराजी पक्षकारों की बहन छोटी देवी (फौत) के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादी/प्रार्थी बहन छोटी देवी के नाऔलाद फौत होने का कथन करते हुए तथा अप्रार्थी सं. 01 देवेन्द्र के पक्ष में छोटी देवी द्वारा निष्पादित गोदपत्र को फर्जी बताते हुए विवादित आराजी में से अपने हिस्से की घोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहता है जिसका निर्धारण वादपत्र में साक्ष्य उपरांत गुणावगुण पर किया जा सकेगा। तब तक वाद के लंबित रहने की अवधि में अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगण को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति सिद्धांत की प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

6. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर ग्राम हिंगोटा, पटवार हल्का बाबडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 2209/2545 कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 03.10.2025 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 08.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)